संख्या- 35/2015/131 बीपी/35-1-2015

प्रेषक,

जे.बी.सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ :दिनांक: 03 जुलाई, 2015

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत उद्यान विभाग की परियोजनाओं हेतु वर्ष 2015-16 में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 3/2015/19बीपी/35-1-2015 दिनांक 27 जनवरी, 2015 द्वारा उद्यान विभाग की 04 परियोजनाओं जिनकी कुल लागत रू. 26.00 करोड़ (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू. 14.23 करोड़ तथा लाभार्थी अंश रू. 11.77 करोड़) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 1.05 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी ,जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 0.87 करोड़ की धनराशि व्यय की गई तथा शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुन्देलखण्ड पैकेज पर गठित संयुक्त कार्यान्वयन समिति की दिनांक 05 मई, 2015 को सम्पन्न हुई बैठक में बुन्देलखण्ड पैकेज के द्वितीय चरण के कार्यों हेतु अल्प धनराशि उपलब्ध होने के दृष्टिगत उद्यान विभाग के प्रश्नगत कार्यों हेतु अवशेष आवश्यकता के रूप में रू. 4.58 करोड़ ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। एतद् द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु वर्ष 2015-16 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार रू. 4.58 करोड़ (रूपये चार करोड़ अट्ठावन लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्राप्त करते हैं:-

(करोड़ रू.)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत			वर्ष 2014-15 में व्यय	अवमुक्त धनराशि
		कुल	कुल में			
			ए.सी.ए.	लाभार्थी अंश		
1	देशी/वाइल्ड बेर में टॉप वर्किंग	5.00	2.50	2.50	0.00	0.71
2	हार्टिकल्चर इस्टेट की स्थापना	6.30	3.15	3.15	0.31	1.42
3	पोषक वाटिका की स्थापना	2.45	2.45	0.00	0.00	0.70
4	सब्जी पट्टी का विकास	12.25	6.13	6.12	0.56	1.75
	योग	26.00	14.23	11.77	0.87	4.58

1- सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- कार्यों को मानको के अनुरूप गुणवत्ता के साथ अवमुक्त धनराशि में ही पूर्ण किया जायेगा तथा कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

4- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून 2016 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को भेजी जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष -2575 -अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम -02 -पिछडे क्षेत्र -800 -अन्य व्यय -04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-17-उद्यान विभाग की परियोजनायें-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा। धनराशि आदेश संख्या-यू.ओ.-11बी.के./35-1-2015, दिनांक 03 जुलाई, 2015 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त की गयी है।

3- यह आदेश वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 35 /2015/ 131 बीपी(1)/35-1-2015, तद्द दिनांक।

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग।
4- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7- जिलाधिकारी, झांसी / ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10- वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
13- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(जे.बी.सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।